season, as compared to the previous year according to the review, if any made by Government;

(c) what is the estimated unsold stock with the phosphatic fertiliser units and the various cooperative bodies in the States; and

(d) the manner in which Government proposes to cope up with the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Yes, Sir.

(b) Approximately, a 32 per cent fall as compared to the last season.

(c) and (d) The estimated unsold stocks of Di-Ammonium Phosphate with the fertiliser units and the handling agencies of imported phosphatic fertilisers as on 31-1-93 amounted to approximately 10.11 lakh tonnes. Information from all States in respect of unsold stocks of Di-Ammonium Phosphate with apex cooperative bodies is not available.

Stocks of phosphatic fertilisers began to mount on account of substantial increase in prices following decontrol leading to decline in consumption. To cushion the immediate impact of increase in prices, Government of India announced for the current Rabi season a concession of Rs. 1000 per tonne on sales to farmers of Di-Ammonium Phosphate and Muriate of Potash and correspondingly for complex fertilisers based on their phosphatic and potassic content. Measures have also been taken to bring down the cost of production of indigenous phosphatic units. Procurement prices of major cereals were hiked by Government to compensate farmers for the increase in input prices and to provide incentive to use costlier fertilisers.

मुआवजे की अदायगी के लिए भोपाल गैस पीड़ितों के मामले

1976. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए स्थापित किए गए आयोग द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं और शेष मामलों के कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई सभी दावा-अदालतें कार्य कर रही हैं; और

(ग) क्या सरकार भोपाल गैस पीड़ितों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1993 को अंतरिम राहत की अवधि समाप्त होने पर इस व्यवस्था को जारी रखने का विचार रखती है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) कल्याण आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21.2.1993 तक अधिनिर्णित मामलों की संख्या 2042 थी। अधिनिर्णय की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है और सरकार के लिए यह बताना संभव नहीं है कि कब तक सभी मामलों को निपटाये जाने की संभावना है। सरकार द्वारा स्वीकृत 40 न्यायालयों में से उपायुक्तों के 29 न्यायालय काम कर रहे हैं।

(ग) भोपाल गैस पीड़ितों को अन्तरिम सहायता मंजूर की गई थी क्योंकि पीड़ितों को राहत के भुगतान में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 14/15.2.89 के निपटान आदेश की सभी के परिणामस्वरूप देरी हो रही थी। पुनरीक्षा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3.10.91 को निपटाई गई थी।

भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का प्रतिवेदन

1977. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 1986 में प्रकाशित हुए प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) 1986 में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) की रिपोर्ट जहरीली गैस के संपर्क में आने से पड़ने वाले प्रभाव और इसके परिणामों की जांच करने के लिए आई सी एम आर द्वारा प्रायोजित चालू कार्यक्रमों की पुनरीक्षा थी। जो परियोजनाएं इस रिपोर्ट में शामिल थी उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) इन रिपोर्टों और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) की अन्य रिपोर्टों के आधार पर पीड़ितों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

1. सामुदायिक स्वास्थ्य क्लीनिक के माध्यम से एम आई सी के संपर्क में आने पर स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में दीर्घकालिक एपिडीमिओलाजिकल अध्ययन।

2. श्वास प्रणाली पर एम आई सी गैस के दीर्घकालिक प्रभावों का एपिडीमिओलाजिकल अध्ययन।

3. एम आई सी प्रभावित व्यक्तियों में पल्मोनरी फंक्शन की जांच समेत क्लीनिकल अध्ययन।

4. रक्त गैस विश्लेषण समेत पल्मोनरी फंक्शन जांचों का अध्ययन।

5. एम आई सी प्रभावित व्यक्तियों का रेडियोलाजिकल अध्ययन।

6. एम आई सी प्रभावित आबादी का पल्मोनरी अध्ययन।

7. एम आई सी प्रभावित आबादी में दृष्टि संबंधी परिवर्तनों का अनुवर्ती अध्ययन।

8. एम आई सी प्रभावित आबादी का मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।

9. एम आई सी के जहर का तंत्रिका विज्ञानी प्रभाव।

10. भोपाल के जहरीली गैस प्रभावित पीड़ितों में असंक्रमीकरण मान-दण्डों का अध्ययन।

11. एम आई सी के अनुवंशिक जोखिम मूल्यांकन-भोपाल में गैस से प्रभावित महिलाओं में गर्भ परिणाम का अध्ययन।

12. एम आई सी से प्रभावित बच्चों (8–15 वर्ष) के पल्मोनरी प्रभावों का अध्ययन।

13. एम आई सी के संपर्क में आये बच्चों (0–5 वर्ष) का अनुवर्ती अध्ययन।

14. भोपाल में एम आई सी से प्रभावित बच्चों का प्रायोगिक मानसिक चिकित्सा अध्ययन।

15. बच्चों में, जिनकी माताएं पहली तिमाही में एम आई सी के संपर्क में आई थी, में श्लेष्मिक मसूड़े संबंधी, ओरोडेन्टल विषांतियों का अध्ययन।

16. भोपाल में एम आई सी से प्रभावित और गैस प्रभावित क्षेत्रों में थयरायड की स्थिति एक दीर्घ कालिक मूल्यांकन।

17. एम आई सी से प्रभावित व्यक्तियों में क्लीनिकल और फारेंसिक टाक्सेकोलाजिकल अध्ययन।

18. भोपाल में जनसंख्या के आधार पर कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना।

19. एम आई सी के अनुवंशिक जोखिम मूल्यांकन भोपाल में प्रभावित आबादी का कोशिका विज्ञानी अध्ययन।

20. भोपाल में एम आई सी के अनुरूपी अध्ययनों के लिए आंकड़ा आधारित और सूचना प्रणाली के लिए आई सी एम आर का प्रतिष्ठान।

Manufacture of low quality perfumes

1978. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that inferior quality perfumes are being manufactured in the country due to non-availability of ethyl alcohol in sufficient quantity; and

(b) if so, what steps are being contemplated to promote the indigenous production of ethyl alcohol?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Presently Ethyl alcohol is available in sufficient quantity in the country. However there are reports that solvents other than Ehyl alcohol are being used in the manufacture of perfumes.

(b) Does not arise.

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड का उत्पादन

1979. **श्री सोम पाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड के निर्माण कार्य किस तारीख को पूरा हुए थे तथा तब से इस कारपोरेशन में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस कारपोरेशन की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इसके आरम्भ होने से अब तक वर्षवार घाटा कितना रहा है ; और

(ङ) इसकी उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिये कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) भूतपूर्व फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) की पहली अप्रैल, 1978 को निगमित किया गया था । एच एफ सी के सभी संयंत्रों की वार्षिक स्थापित क्षमता 1978-79 में 5.01 लाख टन नाइट्रोजन से बढ़ कर 1991-92 में 6.53 लाख टन हो गयी । इसी अवधि के दौरान वार्षिक उत्पादन 2.06 लाख टन से लगभग 2.10 लाख टन के बीच हुआ, 2.89 लाख टन का उच्चतम उत्पादन 1987-88 में प्राप्त किया गया था ।

(ग) एच एफ सी के संयंत्रों में निम्न उत्पादन मुख्यतः प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन त्रुटियों, बारम्बार उपस्कर खराबियों, पावर की कमी, निधि बाधाओं तथा औद्योगिक सम्बन्ध समस्याओं के कारण हुआ ।

(घ) एच एफ सी द्वारा इसके आरम्भ से उठाई गई वार्षिक हानि नीचे दी गयी है :—

वर्ष	लाभ(+)/हानि(–) (रु० करोड़)
1978–79	(–) 22.52
1979–80	(–) 36.23
1980–81	(–) 54.05
1981–82	(–) 48.13
1982–83	(–) 55.35
1983–84	(–) 72.40
1984–85	(–) 72.23
1985–86	(–) 71.56
1986–87	(–) 86.22
1987–88	(–) 104.84
1988–89	(–) 156.33
1989–90	(–) 169.79
1990–91	(–) 231.45
1991–92	(–) 240.31
	(–) 1421 46